प्रकरण संख्या 10/2019 रोडा व अन्य बनाम खेमा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.11.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध एक वाद खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन मूल पुरूष खेमजी पिता उदा के दो पुत्र वादी संख्या 1 काना व लाला हुए, जिसमें लाल की मृत्यु हो चुकी है, वादी संख्या 2 व 3 लाला के वारिस हैं। खेमजी मौजा नीमच की आराजी नंबर 278/3 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा के ठिकाने के समय शिकमी काश्तकार थे तथा दिनांक 10.07.56 को उन्हें गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए तथा से आज दिनांक तक वादीगण काबिज चले आ रहे हैं। उक्त साबिक आराजी नंबर 278/3 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा एक ही चक में होकर उसके नये नंबर डाले गये जो वादीगण के कुछ खाते किये गये एवं कुछ बिलानाम होने चाहिए थे जो वादीगण के खाते किये गये। प्रतिवादी की वादीगण के चक के पास कोई भूमि नहीं है, फिर भी वादीगण के कब्जे एवं पुरानी खातेदारी की भूमि प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दी गयी है। वादग्रस्त आराजी नंबर 646 से 650 रकबा 0.5200 हैक्टर भूमि वादीगण के खाते में दर्ज होनी चाहिए थी जो गलती से प्रतिवादी के खाते में दर्ज कर दी गयी है एवं नया आराजी नंबर 837 रकबा 0.2600 हैक्टर बिलानाम होना चाहिए था जो वादीगण के खाते दर्ज कर दिया गया है, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः वादीगण को साबिक आराजी नंबर 278/3 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा से बने नये आराजी नंबर नंबर 646 से 650 रकबा 0.5200 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जावे तथा आराजी नंबर 837 रकबा 0.2600 हैक्टर बिलानाम सरकार होकर वादीगण के खाते दर्ज हो गयी है उसे वादीगण के खाते से खारिज कर बिलानाम दर्ज किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 01.06.2015 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 18.03.2019 को प्रस्तुत की गयी है।	

प्रकरण संख्या 10/2019 रोडा व अन्य बनाम खेमा व अन्य

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री भगवतसिंह शक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर वकील श्री मेघराज पटेल उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखे जाने की उन्हें कोई सूचना नहीं दी गयी तथा उनकी अनुपस्थिति में बिना सूचना दिये एवं बिना सुने निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को कैम्प कोर्ट की सूचना दी गयी थी तथा वे उपस्थित भी हुए एवं उन्हें सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण का यह कथन कि उन्हें राजस्व कैम्प की कोई सूचना नहीं दी गयी, मिथ्या कथन है। अपील करीब 4 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जो मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.07.2015 नियत थी, किन्तु इसके स्थान पर दिनांक 01.06.2015 को प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया गया, जिसकी किसी प्रकार की सूचना अपीलान्टगण को दिये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं हैं। अतः न्यायहित में दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को सूचना दिये बिना तथा उनकी बिना रजामन्दी के एवं बिना सहमति के प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर उनकी अनुपस्थिति में बिना सुने निर्णय

पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण जिरह हेतु दिनांक 09.01.2015 के लिए नियत था एवं इसके बाद की 4 पेशियों पर पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर होने/अवकाश पर होने की न्यायालय की छाप लगी हुई है एवं दिनांक 01.05.2015 को प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.07.2015 नियत की गयी, किन्तु इसके स्थान पर इसके पूर्व ही दिनांक 01.06.2015 को प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया गया, जबकि पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है तथा वक्त निर्णय सिर्फ रेस्पोन्डेन्टगण ही उपस्थित थे। अपीलान्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को विधिवत सुनकर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.01.2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 10/2019 रोडा व अन्य बनाम खेमा व अन्य

प्रकरण संख्या 10/2019 रोडा व अन्य बनाम खेमा व अन्य